न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21/2021 (राजसमन्द आर्डर)

रामसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, निवासी कल्ला खेड़ी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. गणेशलाल उर्फ गुणेशलाल पिता रूपशंकर ब्राहमण, निवासी मजा, तहसील राजसमन्द हाल निवासी रेल्वे विभाग, रेल्वे स्टेशन, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) (आदेश दिनांक 29.01.2021 के अनुसार कार्यवाही ड्रोप)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा॰का॰अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दिनांक 29–01–2021 प्रकरण संख्या 16/2019

———::———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 21–09–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 का वाद प्रस्तुत किया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11–05–2017 को खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील वादी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08–01–2019 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही उन्मुक्त किये जाने की प्रार्थना पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–01–2021 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे होकर रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–10–2021 को प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के सन्दर्भ में वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। कोविड–19 के बाद अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। कोविट–19 की महामारी एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर विधि के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 08–01–2019 में दिये गये रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है एवं बिना विधि प्रक्रिया अपनाये पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 11–05–2017 को आधार बनाकर पुनः उसी आधार पर वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–01–2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (3) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही उन्मुक्त किये जाने पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिये, परन्तु उसके साथ वाद की कार्यवाही भी ड्रोप करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से कानूनन वह आवश्यक पक्षकार था, इसलिए उसे पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर सिर्फ उसके विरूद्ध कार्यवाही उन्मुक्त किये जाने का आदेश पारित करना था, किन्तु शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद विचाराधीन रखना था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वाद की कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश पारित कर दिया जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2023 (1) Law Herald 662 : 2023 (2) CivCC 746, DNJ 2019 (SC) 927 प्रस्तुत की।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में दिनांक 11–05–2017 को यह निर्णय पारित किया कि ''पर्चा मौका अनुसार प्रतिवादी गणेशलाल पिता रूपशंकर श्रीमाली करीब 70–80 वर्ष पहले मजा ग्राम से बाहर चले गये तथा करीब 50 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में गणेशलाल के परिवार का कोई भी व्यक्ति मजा में निवास नहीं करता है। वादी ने जानबूझकर मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध यह वाद पेश किया है, जो विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जाता है।'' अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08–01–2019 को अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि ''अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि वह प्रकरण में जिस व्यक्ति के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर चुके हैं यदि उसकी मृत्यु की कोई सूचना लोक अदालत को प्राप्त होती है तो इस हेतु अपीलान्ट/वादी को सूचित कर प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय पारित करते, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना सरसरी आधार पर वाद खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध है। अतः प्रकरण में अपीलान्ट/वादी को सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित करें।'' न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–01–2021 को पटवारी के पूर्व मौका पर्चा अनुसार ही पुनः पूर्व में पारित तथ्यों को अंकित करते हुए अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (3) स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध उक्त प्रकरण में कार्यवाही उन्मुक्त किये जाने के तथ्यों को स्वीकार कर जैरकार वाद को इसी स्तर पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि जब अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के कोई विधिक वारिस [illegible] होने से विधिक वारिसान से उन्मुक्ति प्रदान करने का प्रार्थना [illegible] प्रकरण को वादी/अपीलान्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य लेकर प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था, वाद की कार्यवाही ड्रोप नहीं करनी चाहिए थी, जैसाकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की गयी है एवं पुनः पूर्व में पारित निर्णय अनुसार ही सरसरी तौर पर वाद खारिज कर दिया है। हमारे सम्मुख अभिभाषक अपीलान्ट ने एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया है, हालांकि उक्त वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, न ही उसमें किसी प्रकार की आराजी नंबरों का अंकन है, किन्तु उक्त वसीयतनामा 100/– रूपये के स्टाम्प पर होकर उसमें 38 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रेमकान्त पिता शिवदत्त द्वारा वादी/अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत किये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत की प्रमाणिकता की जांच की जाकर एवं उस पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर विधिक प्रक्रिया के तहत पुनः नये सिरे से निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं, क्योंकि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी गणेश की मृत्यु हो चुकी तथा उसके कोई विधिक वारिसान नहीं होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–01–2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी/अपीलान्ट सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रस्तुत वसीयतनामें की प्रमाणिकता की जांच कर एवं उस पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर पुनः विधि के आलोक में नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–11–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested